

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,  
विशेष सचिव,  
उपरोक्त शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उपरोक्त लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकासित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-शहजहाँपुर की 23 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4706/68/10/छ./विविध/2017-18<sup>o</sup> दिनांक 26 फरवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकासित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-शहजहाँपुर की न0पा0परि0, शहजहाँपुर एवं न0पा0 अल्हागंज की विभिन्न अल्पविकासित बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 23 परियोजनाओं हेतु कुल रु0 149.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50% प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रु0 74.525 लाख (रुपये चौहत्तर लाख बावन हजार पाँच सौ मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहक स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नावात् योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णस्पष्ट अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की दिवारावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा सचिव सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बातचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० पत्र संख्या-ई-8-1173/दस-2018, दिनांक 28 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवनदीय

३०३/१८

(अनिल कुमार बाजपेयी)

विशेष सचिव।

संख्या-104 /2018/407(1)/69-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रोष्टः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उद्योग सम्बन्धीय कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, शाहजहांपुर।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।


शासनादेश संख्या- १४५ /2018/407(1)/69-1-18-40(मु030-37)/2018, दिनांक ३० मार्च, २०१८  
का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	शाहजहांपुर	न०पा०प०, शाहजहांपुर	मोहल्ला महमद जलालनगर में रेलवे अस्पताल के पीछे से ट्रान्सफार्मर व श्री नरायण दीक्षित के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	6.33	3.165
2	तदैव	न०प०, अल्हागंज	मो० बगिया द्वितीय में विश्राम के मकान से विद्यावती के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	1.86	0.93
3	तदैव	तदैव	मो० बगिया द्वितीय में मुख्य मार्ग से पापू कश्यप के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	4.67	2.335
4	तदैव	तदैव	मो० बगिया प्रथम में इमलिया मार्ग से सदाम के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	8.21	4.105
5	तदैव	तदैव	मो० बगिया प्रथम में मेन रोड से श्रीमती मुंगेश कुमारी के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	5.42	2.71
6	तदैव	न०पा०प०, शाहजहांपुर	मोहल्ला बहादुरपुरा में भजन लाल के मकान से गविदास के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	1.06	0.53
7	तदैव	तदैव	मोहल्ला जियाखेल में प्राइमरी स्कूल से सरकारी नल तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	8.81	4.405
8	तदैव	तदैव	मोहल्ला जियाखेल में लालू प्रदीप के मकान से सूरजपाल के घर तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	4.98	2.49
9	तदैव	तदैव	मोहल्ला जियाखेल में गयादीन के मकान से बाग तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	11.33	5.665
10	तदैव	तदैव	मोहल्ला लोधीपुर में राजेन्द्र के मकान से नेत्रपाल के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	1.18	0.59
11	तदैव	तदैव	मो० लोधीपुर में छोटे लाल के मकान से कमल किशोर के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	6.27	3.135

12	तदैव	तदैव	मो0 लोधीपुर में कयूम के मकान से छोटे लाल के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	0.91	0.455
13	तदैव	तदैव	मो0 हयातपुरा में दिनेश पाण्डेय के जिम से सुनील शुक्ला के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	21.67	10.835
14	तदैव	तदैव	मो0 मतानी में तम्बाकू गोदाम से सुखलाल के घर तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	17.42	8.71
15	तदैव	तदैव	मो0 बाला तिराही में अखिलेश के मकान के पास इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	1.79	0.895
16	तदैव	तदैव	मो0 मब्कू बजरिया में संतोष सक्सेना के मकान से नाले तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	17.41	8.705
17	तदैव	तदैव	मो0 बीबीजई हृष्टक में शिवस्वरूप अग्निहोत्री के मकान से डा० बिरीश सक्सेना के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	5.18	2.59
18	तदैव	तदैव	मो0 निसरजई में रामदास के मकान से श्री राम लखन के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	2.77	1.385
19	तदैव	तदैव	मो0 लोक बिहार में अविन्द्र वर्मा के मकान से शिल्पी रानी के मकान तक इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	4.54	2.27
20	तदैव	तदैव	मो0 निसरजई में चबूतरा के मकान से उषा के मका तक एवं पीपल के पास चबूतरा पर इंटरलाकिंग मार्ग व नाली निर्माण कार्य।	3.04	1.52
21	तदैव	तदैव	मो0 दिलाजाक में पक्का कुआं की बाउण्डी तथा चबूतड़ा बनवाने का कार्य।	2.22	1.11
22	तदैव	तदैव	मो0 सुभाष नगर में ब्रह्मदेव के सीन के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	5.56	2.78
23	तदैव	तदैव	मो0 दिलाजाक रामनगर में गुरुद्वारा के सामने योगराज (योगी) की दुकान के सामने खली मैदान में बाउण्डी एवं इंटरलाकिंग टायल लगाने का कार्य।	6.42	3.21
योग				149.05	74.525

(सम्पूर्ण चौहत्तर लाख बावन हजार पाँच सौ मात्र)।

  
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।